



संख्या: 2142 / आ.ब.-7 / अधिष्ठान / 2025 दिनांक : 28 मार्च, 2025

कार्यालय-ज्ञाप

श्री रवि जैन, मुख्य नगर नियोजक, विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा (सम्प्रति निदेशक, आवास बन्धु) को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र०शासन के अन्तर्गत गठित आवास बन्धु में उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात दिनांक 01.04.2025 से दिनांक 31.03.2026 अथवा अग्रिम आदेशों तक, जो भी पहले हो, की अवधि के लिए संविदा पर सलाहकार के रूप में तैनात किया जाता है।

श्री रवि जैनके पारिश्रमिक का निर्धारण उनके द्वारा अंतिम आहरित मूल वेतन में से, उनके द्वारा प्राप्त की जा रही मूल पेंशन को घटाते हुए किया जायेगा।

(डा० बलकार सिंह)

सचिव (आवास)/अधिशालीनिदेशक,
आवास बन्धु, उ०प्र०।

संख्या एवं दिनांक तदैव

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अध्यक्ष, आवास बन्धु/प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- समस्त विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उपसचिव/अनु सचिव/अनुभाग अधिकारी, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र०शासन।
- 3- आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
- 4- समस्त उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
- 5- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र०।
- 6- आहरण वितरण अधिकारी, आवास बन्धु।
- 7- श्री रवि जैन, मुख्य नगर नियोजक, विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा (सम्प्रति निदेशक, आवास बन्धु)।
- 8- गार्ड फाइल।

(डा० बलकार सिंह)

सचिव (आवास)/अधिशाली निदेशक,
आवास बन्धु, उ०प्र०।